सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 42/2017

1. मनचेत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
2. कर्मचन्द पुत्र मुंशीराम जाति अरोडा निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. राजकुमार पुत्र मुंशीराम जाति अरोडा निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित :
1.श्री कुलवन्त सिंह संधू , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री रणजीत सारडीपाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–01.06.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रिकॉर्ड से साबित है कि इंतकाल जेर अपील गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। इंतकाल करने से पूर्व ना तो अपीलांट को कोई शौकाज नोटिस दिया गया ना आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई ना ही आपत्ति पेश करने का अवसर दिया गया बल्कि चुपचाप सारी कार्यवाही करते हुए अपीलांट की भूमि मु.न. 52 के किला नम्बर 7 के 0.190 हैक्टर में से रास्ता की भूमि कम करते हुए 0.177 हैक्टर दर्ज कर दी गई जबकि वास्तव में रास्ता अपीलांट की भूमि में से नहीं बनता क्योंकि प्रकरण सख्या 808/16 व 845/16 में पारित आदेशों को एक साथ पढा जावें तो स्पष्ट होता है कि मु.न. 52 के किला नम्बर 4 में जिस प्रकार पूर्वी हिस्सा में 34 फीट छोडकर एक बिस्वा रास्ता प्रकरण सख्या 808/16 में आदेश पारित करते हुए स्वीकृत किया गया है उसी को आगे बढाते हुए किला नम्बर 7 में भी पूर्वी हिस्सा के 34 फीट छोडकर एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत होने से तथा किला नम्बर 7 का पूर्वी हिस्सा 5 बिस्वा अर्थात 42.05 गुणा 165 फीट महेन्द्र सिंह का होने के कारण रास्ता स्पष्ट तौर से महेन्द्र सिंह की भूमि में से स्वीकृत किया जाना स्पष्ट होता है, यही कारण है कि महेन्द्र सिंह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रकरण संख्या 845/16 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के खिलाफ अपील दिनांक 07.04.2017 को भी पेश कर रखी है। इस प्रकार वास्तव में रास्ता अपीलांट की भूमि में ना होकर महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह की भूमि में स्वीकृत होना दोनो प्रकरणों के आदेश को एक साथ पढने से स्पष्ट हो जाता है मगर इंतकाल जेर अपील करते हुए रास्ता अपीलांट की भूमि में मानकर इंतकाल गलत तौर से पारित किया गया है, जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल करने से पूर्व ना तो इंतकाल नियमों की पालना की तथा ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की, जबकि कानूनन इनकी पालकना आवश्यक थी बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने तो जमाबंदी तक सावधानी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पूर्वक अवलोकन नहीं किया तथा ना ही उपखण्ड अधिकारी के दोनो निर्णयों दिनांक 20.09.2016 व 31.03.2017 का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया, यदि दोनो निर्णयों को एक साथ पढा जाता तो यह स्पष्ट था कि मु.न. 52 किला नम्बर 7 के पूर्वी हिस्सा में 5 बिस्वा अर्थात 42.05 गुणा 165 फीट में ही रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है जो कि महेन्द्र सिंह की भूमि बनती है। अतः अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता का इंतकाल जाहिरा तौर से गलत पारित किया गया है। अपीलान्ट व सुखदेव सिंह द्वारा प्रकरण संख्या 808/16 में स्वीकृत किये गये रास्ता को विड्रॉ करने व निरस्त करवाने का आवेदन भी सक्षम न्यायालय में भी पेश किया गया है। इस प्रकार जब प्रकरण सख्या 808/2016 में स्वीकृत रास्ता ही निरस्त हो जाता है तो प्रकरण संख्या 845/2016 में पारित आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो वह सही स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाता तथा किसी प्रकार से ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाता। नक्शा के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि आदेश गलत पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शा का भी सावधानी पूर्वक अवलोकन नहीं किया। प्रकरण सख्या 808/2016 में यह स्पष्ट है कि मु.न. 52 के किला नम्बर 4 के उतरी हिस्सा में उत्तर से दक्षिण 4 बिस्वा पूर्वी तरफ छोडकर एक बिस्वा चौडा 165 लम्बा रास्ता स्वीकृतकिया गया है जो कि स्पष्ट तौर से महेन्द्र सिंह के किला नम्बर 4 के पूर्वी हिस्सा 5 बिस्वा भूमि में पश्चिमी तरफ स्वीकृत होना स्पष्ट करता है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि इंतकाल करने से पूर्व ना तो अपीलांट को कोई शौकाज नोटिस दिया गया ना आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई ना ही आपत्ति पेश करने का अवसर दिया गया बल्कि चुपचाप सारी कार्यवाही करते हुए अपीलांट की भूमि मु.न. 52 के किला नम्बर 7 के 0.190 हैक्टर में से रास्ता की भूमि कम करते हुए 0.177 हैक्टर दर्ज कर दी गई जबकि वास्तव में रास्ता अपीलांट की भूमि में से नहीं बनता क्योंकि प्रकरण सख्या 808/16 व 845/16 में पारित आदेशों को एक साथ पढा जावें तो स्पष्ट होता है कि मु.न. 52 के किला नम्बर 4 में जिस प्रकार पूर्वी हिस्सा में 34 फीट छोडकर एक बिस्वा रास्ता प्रकरण सख्या 808/16 में आदेश पारित करते हुए स्वीकृत किया गया है उसी को आगे बढाते हुए किला नम्बर 7 में भी पूर्वी हिस्सा के 34 फीट छोडकर एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत होने से तथा किला नम्बर 7 का पूर्वी हिस्सा 5 बिस्वा अर्थात 42.05 गुणा 165 फीट महेन्द्र सिंह का होने के कारण रास्ता स्पष्ट तौर से महेन्द्र सिंह की भूमि में से स्वीकृत किया जाना स्पष्ट होता है, यही कारण है कि महेन्द्र सिंह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रकरण संख्या 845/16 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के खिलाफ अपील दिनांक 07.04.2017 को भी पेश कर रखी है। इस प्रकार वास्तव में रास्ता अपीलांट की भूमि में ना होकर महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह की भूमि में स्वीकृत होना दोनो प्रकरणों के आदेश को एक साथ पढने से स्पष्ट हो जाता है मगर इंतकाल जेर अपील करते हुए रास्ता अपीलांट की भूमि में मानकर इंतकाल गलत तौर से पारित किया गया है, जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल करने से पूर्व ना तो इंतकाल नियमों की पालना की तथा ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की, जबकि कानूनन इनकी पालकना आवश्यक थी बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने तो जमाबंदी तक सावधानी पूर्वक अवलोकन नहीं किया तथा ना ही उपखण्ड अधिकारी के दोनो निर्णयों दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

20.09.2016 व 31.03.2017 का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया, यदि दोनो निर्णयों को एक साथ पढा जाता तो यह स्पष्ट था कि मु.न. 52 किला नम्बर 7 के पूर्वी हिस्सा में 5 बिस्वा अर्थात 42.05 गुणा 165 फीट में ही रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है जो कि महेन्द्र सिंह की भूमि बनती है। अतः अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता का इंतकाल जाहिरा तौर से गलत पारित किया गया है। अपीलान्ट व सुखदेव सिंह द्वारा प्रकरण संख्या 808/16 में स्वीकृत किये गये रास्ता को विड्रॉ करने व निरस्त करवाने का आवेदन भी सक्षम न्यायालय में भी पेश किया गया है। इस प्रकार जब प्रकरण सख्या 808/2016 में स्वीकृत रास्ता ही निरस्त हो जाता है तो प्रकरण संख्या 845/2016 में पारित आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो वह सही स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाता तथा किसी प्रकार से ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाता। नक्शा के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि आदेश गलत पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शा का भी सावधानी पूर्वक अवलोकन नहीं किया। प्रकरण सख्या 808/2016 में यह स्पष्ट है कि मु.न. 52 के किला नम्बर 4 के उतरी हिस्सा में उत्तर से दक्षिण 4 बिस्वा पूर्वी तरफ छोडकर एक बिस्वा चौडा 165 लम्बा रास्ता स्वीकृतकिया गया है जो कि स्पष्ट तौर से महेन्द्र सिंह के किला नम्बर 4 के पूर्वी हिस्सा 5 बिस्वा भूमि में पश्चिमी तरफ स्वीकृत होना स्पष्ट करता है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि इन्तकाल संख्या 756/01.05.2017 के खाना नम्बर 7 में अपीलांट का नाम दर्ज किया हुआ है तथा उसके नाम 10.178 हैक्टर कृषि भूमि खाता सख्या 76 के मु.न. 20,23,52 की दर्ज की गई है तथा इन्तकाल के खाना सख्या 10,11,12,13, से भी उसके नाम उपरोक्त भूमि दर्ज करते हुए मु.न. 52 के किला नम्बर 7 में 0.190 हैक्टर नहरी के स्थान पर 0.177 हैक्टर नहरी तथा 0.013 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की भूमि में ही मु.न. 52 के किला नम्बर 07 में रास्ता की भूमि की कटौती दर्ज हुई है। अतः अपीलांट के अलावा अन्य कोई प्रभावित नहीं होता तथा रास्ता की भूमि की जो कटौती दर्ज की जाती है उसके लैण्ड होल्डर स्टेट जरिये तहसीलदार होने से केवलमात्र वही प्रभावित पक्षकार कहलाता है तथा अपील में अपीलांट द्वारा स्टेट ऑफ जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाया हुआ है। जब प्रार्थीगण कर्मचन्द, राजकुमार की किसी भूमि की कटौती आदि ही नहीं हुई तथा ना ही इंतकाल में उनको पक्षकार दर्ज किया हुआ हैं। अतः वह किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं है। माननीय न्यायालय को केवलमात्र इंतकाल की वैद्यता की ही जांच करनी है, अतः इंतकाल में अन्य कोई व्यक्ति प्रभावित पक्षकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंतकाल केवलमात्र किसी आदेश की पालना में ही किया गया है जो कि पालनात्मक कार्यवाही की परिभाषा में आता है। अतः प्रार्थीयान किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं है, उन्होने केवलमात्र मुकदमा को लम्बा करने तथा अपीलांट को न्याय में देरी करने की नियत से गलत तौर पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। वास्तव में उसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं हुआ मगर गलत तौर से इंतकाल करते समय उसकी भूमि की कटौती की गई है। इस प्रकार वह अपील करने के अधिकारी है , इन हालात में प्रार्थीयान कर्मचन्द, राजकुमार किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं है। वह केवलमात्र उपजिलाधीश के रास्ता सम्बन्धी निर्णय के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील में आवश्यक पक्षकार हो सकते है ना कि इंतकाल की अपील में क्योंकि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इंतकाल एक अलग प्रकिया है। लिहाजा प्रार्थीयान कर्मचन्द आदि का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 845/2016 अनवानी कर्मचन्द वगैरा बनाम महेन्द्रसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 31.03.2017 का सलंग्न पत्रावली अवलोकन किया। इसमें स्पष्ट आदेश है कि –'' प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर चक 23 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 4 व 5 में पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ते को आगे बढाते हुए किला नम्बर 7 में ही एक बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाता है।'' इसकी पालना में मु.न. 52 के किला नम्बर 7 में रास्ता स्वीकृत होने के फलस्वरूप अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 02.05.2017 भरा गया है जो विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/06/2018

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।